रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड—3 उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 1971/भाद्र 9, 1893
No. 449] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 1971/BHADRA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st August 1971

S.O. 3256.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Osmanshahi Mills Ltd., Nanded, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Maharashtra State Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, the Osmanshahi Mills Ltd., Nanded subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order; and

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. 9(13)/Lic/Pol/71.]
S. K. SAHGAL, Jt, Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1971

का० आ० 3256:—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उस्मानशाही मिल्स लि०, नान्देद नामक एक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके संबंध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई, प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है :

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उस्मानशाही मिल्स लि०, नान्देद, नामक उपरोक्त संपूर्ण अभिकरण का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम (जिसे इसके पश्चात् नियंत्रक कहा गया है) को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार संभालेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझेगी, तो इससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[सं० फा० 9(13)/लीक० पोल०/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971